पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0–07/25

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/07/25 दिनांकः 20.05.2025

विषयः दिनांक 04.05.2025 को समस्तीपुर मंडल के सहरसा स्टेशन यार्ड पर शंटिंग के दौरान दो शंटमैन के घायल होने एवं दिनांक 12.05.2025 को दानापुर मंडल के कुचमन स्टेशन पर ऑल राइट सिगनल आदान–प्रदान के लिए जाने के समय कार्यरत पोर्टर का रन–ओवर होने के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 04.05.2025 को सुवह 4.30 बजे के करीब सहरसा यार्ड में दो प्वाइंटमैन लाइन संख्या–02 से 12554 के खाली रेक को शंटिंग नेक में पुश वैक से ढकेला । इसके बाद गाड़ी संख्या 18625 के इंजन संख्या 22818 को लाइन संख्या 04 से शंटिंग नेक भेजा । शंटिंग नेक में 12554 रेक को ढकेलने के बाद दोनों कर्मचारी वाशिंग पिट की तरफ जाने के लिए बढ़े । इसी समय मेन लाइन से गाड़ी संख्या 11016 (अमृत भारत एक्सप्रेस) सिमरी–बख्तियारपुर की तरफ पास कर रही थी । इस कारण ये लोग मेन लाइन से हटकर शंटिंग नेक लाइन में पहले से खड़ी गाड़ी संख्या 18625 के इंजन संख्या 22818 के सामने आ गए । इसी समय इंजन संख्या 22818 को सैलून साइडिंग जाने के लिए शंट सिगनल दे दिया गया और शंटर सिगनल देखकर आगे बढ़ गए । चूँकि दोनों कांटावाला लोको के काफी करीब थे इस कारण इंजन चला रहे शंटर एवं इंजन पर कार्यरत कांटावाला उनलोगों को नहीं देख पाए और शंटर द्वारा हार्न बजाने पर दोनों जल्दी से लाइन से हटना चाहे जिस कारण दोनों कांटावाला रेलवे लाइन पर गिर गए और बुरी तरह घायल हो गए।

इसी तरह दिनांक 12.05.2025 को कुचमन स्टेशन पर कार्यरत कांटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दीन दयाल उपाध्याय मंडल की तरफ से गाड़ी संख्या EC/TKLE/DNR आने की सूचना दी गई । कार्यरत पोर्टर ऑल राइट सिगनल का आदान–प्रदान करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल न करके रेलवे लाइन पार करने लगी और किमी0 744/24–22 पर उनकी रन ओवर के कारण दुखद मृत्यु हो गयी ।

2. प्रकियागत विफलताः

(i) सहरसा यार्ड में कार्यरत कॉटावाला इंजन से पर्याप्त दूरी पर खड़े नहीं थे । इस कारण शंटर द्वारा हार्न बजाने के पश्चात दोंनो लाइन पर से तेजी से हटने के कम में गिर गए ।

(ii) एक तरफ से अमृत भारत एक्सप्रेस पास कर रही थी एवं उसी समय शंटिंग इंजन प्रस्थान कर गया और कांटावाला को हटने का जगह नहीं मिला ।

(iii) वॉकी–टॉकी पर गाड़ी परिचालन की जानकारी लेने में विफल रहे ।

3. जॉच के दौरान स्थापित तथ्यः

A. सहरसा यार्ड में–

1. कार्यरत कांटावाला शंटिंग इंजन से काफी करीब खड़े थे जो संरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं था ।
2. यार्ड में सिगनल की स्थिति पर उनकी नजर नहीं थी ।

B. कुचमन स्टेशन पर –

1. कुचमन स्टेशन पर कार्यरत पोर्टर ओवर ब्रिज का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक पार करने के लिए इस्तेमाल नहीं की ।
2. ऑल राइट सिगनल का आदान–प्रदान करने के लिए पोटा हट उपलब्ध नहीं था ।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर ईस्ट आउटर केबिन/दीन दयाय उपाध्याय स्टेशन से गाड़ी खुलने के बाद पोर्टर को ऑल राइट सिगनल के लिए तुरंत जाने के लिए नहीं आदेशित किए ।

4. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियाँ

उक्त दुर्घटनाओं की जॉच में यह पाया गया कि सहरसा यार्ड में शंटिंग के दौरान कांटावाला पूर्ण सजग नहीं थे एवं कुचमन में भी पोर्टर द्वारा FOB का इस्तेमाल नहीं किया गया जिस कारण जीवन हानि हुई । भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्न सावधानियाँ अपेक्षित हैं ।

(i) ऑल राइट सिगनल का आदान–प्रदान करन के लिए कार्यरत कर्मचारी FOB (उपलब्ध होने पर) का इस्तेमाल करके लाइनों को पार करेंगे ।

(ii) लाइन क्लियर देने के साथ ही स्टेशन मास्टर पोर्टर को ऑल राइट सिगनल आदान–प्रदान करने के लिए भेज देंगे ।

(iii) विशेष परिस्थिति में कार्यरत कर्मचारीगण अत्यन्त सर्तकता से रेल पटरी पार करेंगे ।

(iv) शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियम 5.13(1)के अनुसार शंटिंग कार्य किया जाएगा । इस नियम के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण हैंण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा ।

(v) सामान्य नियम 5.13(2) के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सर्तक रहेंगे ।

(vi) सामान्य एवं सहायक नियम 4.21 (इंजन चलाने की जिम्मेदारी) के अनुसार डीजल लोको में शंटिंग की दिशा वाले ड्राईविंग कंट्रोल स्टैण्ड से ही शंटिंग कार्य किया जाएगा ।

(vii) सहायक नियम 5.14(1) के अनुसार शंटिंग के दौरान कोई कर्मचारी बफर,हैण्ड ब्रेक गियर या वाहनों के स्कू कपलिंग या इंजन के कॉउकैचर पर नहीं चढ़ेगा ।

उपरोक्त निर्देशों का सर्वसंबंधित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के संबंधित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इन निर्देशों का अनुपालन अवश्य देखें।

20/05/25

(प्रभास राघव)
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव–महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 –को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0 , वमअभि0 (सम0)धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्व संबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।